

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 198/2022

अनवान :-

1. संजय पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. दीपाराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

2. संदीप पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एएमएस के खाता सं० 138/74 के मु० न० 35, किला न० 14, 17, 18/2, 23, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 38 किला न० 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, कुल 2.0280 जिसमें से नहरी 1.9270 है, गै० मु० खाला 0.0750 है, गै० मु० रास्ता 0.0260 है, व रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 136/63 के मु० न० 81 किला न० 13/5, 18/2, मु० न० 83 किला न० 11/4, 20/2, 21 ता 25, मु० न० 84 किला न० 16/2, 24, 25 कुल 1.9530 नहरी व रोही मौजा चक 2 बीबीएम के खाता सं० 182/77 के मु० न० 29 किला न० 1/1, 1/2, मु० न० 30 किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल 1.2650 है जिसमें से नहरी 1.1140 है, गै० मु० खाला 0.1510 है, खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 दीपाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मैं से प्रतिवादी सं० 1 दीपाराम का नाम कलमजून किया जाकर वादी संजय व प्रतिवादी सं० 2 संदीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4.10.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से



(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) A.S
उपसचिव (राजस्व) (विशेष निदेश)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि०न० - 198 / 2022

अनवान :-

1. संजय पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा। :- वादी

बनाम

1. दीपाराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. संदीप पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 04-10-22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 15 एएमएस के खाता सं० 138/74 के मु० न० 35, किला न० 14, 17, 18/2, 23, 24, 25/1, 25/2, , मु० न० 38 किला न० 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, कुल 2.0280 जिसमें से नहरी 1.9270 है०, गै० मु० खाला 0.0750 है, गै० मु० रास्ता 0.0260 है०, व रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 136/63 के मु० न० 81 किला न० 13/5, 18/2, मु० न० 83 किला न० 11/4, 20/2, 21 ता 25, मु० न० 84 किला न० 16/2, 24, 25 कुल 1.9530 नहरी व रोही मौजा चक 2 बीबीएम के खाता सं० 182/77 के मु० न० 29 किला न० 1/1, 1/2, मु० न० 30 किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल 1.2650 है जिसमें से नहरी 1.1140 है० गै० मु० खाला 0.1510 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 दीपाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा इन्द्राज की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। व प्रतिवादी सं० 3 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

साक्ष्य वादी में वादी संजय पुत्र दीपाराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा 15 एएमएस के खाता सं० 138/74 के मु० न० 35, किला न० 14, 17, 18/2, 23, 24, 25/1, 25/2, , मु० न० 38 किला न० 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, कुल 2.0280 जिसमें से नहरी 1.9270 है०, गै० मु० खाला 0.0750 है, गै० मु० रास्ता 0.0260 है०, व रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 136/63 के मु० न० 81 किला न० 13/5, 18/2, मु० न० 83 किला न० 11/4, 20/2, 21 ता 25, मु० न० 84 किला न० 16/2, 24, 25 कुल 1.9530 नहरी व रोही मौजा चक 2 बीबीएम के खाता सं० 182/77 के मु० न० 29 किला न० 1/1, 1/2, मु० न० 30 किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल 1.2650 है जिसमें से नहरी 1.1140 है० गै० मु० खाला 0.1510 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 दीपाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी संजय व प्रतिवादी सं० 2 संदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चंकि प्रतिवादी सं० 1 दीपाराम के नाम से चक 9 एएमएस में कृषि भूमि है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 एएमएस के खाता सं० 138/74 के मु० न० 35, किला न० 14, 17, 18/2, 23, 24, 25/1, 25/2, , मु० न० 38 किला न० 4/2, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, कुल 2.0280 जिसमें से नहरी 1.9270 है०, गै० मु० खाला 0.0750 है, गै० मु० रास्ता 0.0260 है०, व रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं० 136/63 के मु० न० 81 किला न० 13/5, 18/2, मु० न० 83 किला न० 11/4, 20/2, 21 ता 25, मु० न० 84 किला न० 16/2, 24, 25 कुल 1.9530 नहरी व रोही मौजा चक 2 बीबीएम के खाता सं० 182/77 के मु० न० 29 किला न० 1/1, 1/2, मु० न० 30 किला न० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल 1.2650 है जिसमें से नहरी 1.1140 है० गै० मु० खाला 0.1510 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 दीपाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से प्रतिवादी सं० 1 दीपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संजय व प्रतिवादी सं० 2 संदीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(शकुंतल घोषरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
मादरा जिला हनुमानगढ़